

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/60133/विपिवर्ग/पू.मै/2016-17

दिनांक : 05.12.2017


समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

विषय : अन्य पिछड़ा वर्ग(विशेष समूह योजना) के अन्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान अन्य पिछड़ा वर्ग की दरों से न कर विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित दरों के अनुरूप करने बाबत।

प्रसंग : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर का परिपत्र एफ11(64)सान्याअवि/देयो/आर.मार्गद/2017/ दिनांक 20.07.2017 एवं बैठक कार्यवाही विवरण एफ11(164)देयो/सान्याअवि/बैठक/2014-15/71626 दिनांक 27.10.2017

उपयुक्त विषयान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक : एफ11(64)सान्याअवि/देयो/आर.मार्गद/2017/ दिनांक 20.07.2017 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा 05 जातियों (1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया, 3. गूजर, जूर्जर, 4. राइका, रैबारी (देबासी) एवं 5. गडरिया(गाडरी), गायरी) को देवनारायण योजनान्तर्गत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा निरन्तर लाभान्वित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे(आदेश की प्रति संलग्न)।

ऐसा देखने में आया है कि कतिपय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम/द्वितीय) द्वारा पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उक्त 05 जातियों से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र संलग्न करने पर उन्हें विशेष पिछड़ा वर्ग की दरों को छोड़ कर अन्य पिछड़ा वर्ग की दरों के अनुरूप छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त 05 जातियों के पात्र छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत किये जा रहे आवेदनों में अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र संलग्न होने पर भी विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को दी जा रही छात्रवृत्ति दरों के अनुरूप ही राशि स्वीकृत की जावे।


  
प्रभारी अधिकारी(छात्रवृत्ति)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/60133/विपिवर्ग/पू.मै/2016-17

दिनांक : 05.12.2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेश(देव.यो), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
2. उप शासन सचिव, प्रथम, शिक्षा(गुप-1)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड बाबत।

  
प्रभारी अधिकारी(छात्रवृत्ति)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर